

पत्र संख्या-स०द०-टी०डी०एफ० /

(529)

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: सितम्बर 27, 2013

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर /

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)/

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०)

वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

आप अवगत है कि मुख्यालय के पत्र सं०-सचलदल ट्रांजिट पास-2013-14/1341/ 1314041 दिनांक 03-09-2013 द्वारा टी०डी०एफ० की नई व्यवस्था दिनांक 15-09-2013 से प्रभावी की गयी है।

डाउनलोडेड टी०डी०एफ० की समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ट्रान्सपोर्टर / वाहन चालक / वाहन स्वामी द्वारा विभागीय वेबसाइट पर जो टी०डी०एफ० फार्म अपलोड किया जा रहा है, उसमें समस्त विवरणों को सही प्रकार से अंकित नहीं किया जा रहा है तथा वाहन चालकों द्वारा प्रदेश में प्रवेश के बाद एवं प्रदेश के बाहर निर्गमन के बाद की गयी व्यवस्था के अनुसार एस०एम०एस० नहीं किये जा रहे हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त सचलदल इकाइयों को यह निर्देशित कर दें कि वे टी०डी०एफ० से संबंधित वाहनों के संबंध में 10 दिन तक विशेष अभियान चलाकर इस तथ्य की सर्वर से एस०एम०एस० द्वारा जानकारी प्राप्त कर जाँच करायें कि प्रश्नगत व्यापारी / ट्रान्सपोर्टर द्वारा संबंधित टी०डी०एफ०-1 तथा टी०डी०एफ०-2 में मुख्यालय के उक्त परिपत्र द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप विवरण अंकित करके डाउनलोड किया जा रहा है अथवा नहीं तथा दिये गये निर्देशानुसार एस०एम०एस० जारी किये जा रहे हैं अथवा नहीं। अधिकारी द्वारा टी०डी०एफ० नम्बर भेजकर उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये `ctxup<space>tdfm<space>tdf` नम्बर के अन्तिम 10 अंक टाइप करके मोबाइल नम्बर 9235512608 पर S.M.S. किया जाएगा। अधिकारी द्वारा वाहन नम्बर भेजकर उस वाहन के संबंध में बनी अन्तिम टी०डी०एफ० की जानकारी प्राप्त करने के लिये `ctxup<space>tdfv<space>` वाहन संख्या टाइप करके मोबाइल नम्बर 9235512608 पर S.M.S. किया जाएगा।

उक्त परिपत्र से लागू की गयी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित कराये जाने के लिए उपर्युक्त जाँच कार्यवाही अत्यन्त आवश्यक है। उक्त प्रक्रिया के संबंध में विभागीय वेबसाइट पर ड्रापबाक्स में जो निर्गमन स्थल घोषित हैं उन क्षेत्रों में सचलदल इकाइयों द्वारा प्रभावी जाँच किया जाना आवश्यक है। अतः संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि०अनु०शा०) यह सुनिश्चित करे कि इन क्षेत्रों में अपेक्षानुरूप जाँच कार्यवाही निष्पादित हो रही है।

एस०एम०एस० के माध्यम से टी०डी०एफ० नम्बर के सत्यापन के लिये समस्त सचलदल अधिकारियों द्वारा मोबाइल नम्बर सर्वर पर रजिस्टर कराना आवश्यक है। अतः समस्त सचलदल अधिकारियों के इम्प्लॉई आई०डी०, नाम, सचलदल इकाई का नाम तथा मोबाइल नम्बर जोनल एडीशनल कमिश्नर की एन०आई०सी० द्वारा बनाई गई ई-मेल आई०डी० से मुख्यालय की ई-मेल आई०डी० `ctithqlu-up@nic.in` पर तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिससे मोबाइल नम्बर सर्वर पर रजिस्टर किया जा सके। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया / कराया जाये।

mu

27.9.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर , वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।